

स्थापना वर्ष – 17.11.1989

॥ विद्या सर्वस्य भूषणम् ॥



गंडई (छ.ग.)

शैक्षणिक सत्र 2021-22

## प्रवेश विवरणिका



## स्व. श्री देवी प्रसाद जी चौबे शासकीय महाविद्यालय

गंडाई, जिला - राजनांदगांव (छ.ग.)

पं. देवी प्रसाद चौबे शासकीय महाविद्यालय गडाई की स्थापना सन् 1989 में हुई थी। अपने स्थापना वर्ष से आज तक यह महाविद्यालय निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित है। इस महाविद्यालयके पं. रविशंकर शुक्ल विश्विद्यालय, रायपुर (छ.ग.) द्वारा संबद्धता प्राप्त है। अतः विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा संबंधी योजना वि. वि. के शर्तों एवं नियमों पर आधारित होगी। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु महाविद्यालय की स्थापना की गयी थी।

### उद्देश्यः

- ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना।
- न्यूनतम व्यय पर उच्च शिक्षा प्रदान करना।
- मानव संसाधन का विकास करना।
- विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास एवं नैतिक विकास करना।
- रोजगार नियोजन, मार्गदर्शन प्रदान करना।

### 1. सत्रः

ग्रीष्मावाकाश के बाद प्रतिवर्ष महाविद्यालय का सत्र 15 जून से आरंभ होता है। कक्षायें 10.30 से 5.30 बजे तक लगती हैं।

### 2. संकाय एवं विषयः

महाविद्यालय में तीन संकाय हैं। कला संकाय, विज्ञान संकाय एवं वाणिज्य संकाय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी पढ़ाये जाने वाले विषयों का विवरण निम्नानुसार है।

#### 2.1 कला संकाय :-

(क) स्नातक स्तर:-

अ) बी.ए. भाग - 1 में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों के लिये - आधार पाठ्यक्रम (अनिवार्य विषय)

तथा निम्न वैकल्पिक विषयों में से कोई भी तीन विषय लेना होगा :-

(1) समाज शास्त्र (2) राजनीति शास्त्र

(3) हिन्दी साहित्य (4) अर्थशास्त्र (5) भूगोल

ब) बी.ए. भाग - 2 एवं 3 के छात्र पूर्व में चयनित विषयों का अध्ययन करेंगे।

(ख) स्नातकोत्तर स्तर:-

इस स्तर हिन्दी साहित्य विषय में एम.ए. करने की सुविधा है।

परीक्षा सेमेस्टर प्रणाली पर आधारित होगी।

#### 2.1 वाणिज्य संकाय :-

(क) आधार पाठ्यक्रम एवं अन्य अनिवार्य विषय

## महाविद्यालय एवं प्राचीर्ण विषय कार्यक्रम में

### 2.3 विज्ञान संकाय :- विज्ञान विभाग - अन्तीर्ण छात्रों

बी.एस.सी. भाग - 1, 2 एवं 3 में आधार पाठ्यक्रम अनिवार्य विषय होगा।

(1) गणित

(2) भौतिक

(3) रसायन शास्त्र

### 3. प्रवेश तिथि :-

#### 3.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

प्रवेश हेतु निर्धारित आवेदन पत्र समर्प्त प्रमाण पत्रों सहित, उस दिनांक तक जमा किए जायेंगे जो महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा तय किया जायेगा। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिये आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दर्शाने हेतु महाविद्यालयके प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर सूचना कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। बोर्ड/वि.वि.द्वारा अंक सूची प्रदान न किए जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जायेंगे।

#### 3.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि का निर्धारण :-

स्थानान्तरण प्रकरण को छोड़कर प्रतिवर्ष 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से (स्थान रिक्त रहने पर) प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे।

विलम्ब से परीक्षा परिणाम घोषित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि, महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा वि.वि. / बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन जो भी पहले हो, मान्य होगी। कंडिका 6 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर सत्र के दौरान प्रवेश दिया जावेगा, किन्तु कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने पर ही प्रवेश दिया जावेगा।

#### 3.3 पूनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों हेतु प्रवेश की अंतिम तिथि का निर्धारण :-

पूनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पूनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी।

#### 3.4 प्रायोगिक कार्य हेतु अमहाविद्यालयीन छात्रों का प्रवेश :-

प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर 30 नवम्बर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने हेतु अनुमति दी जायेगी।

अमहाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं को यह विशेष रूप से जान लेना चाहिये कि प्रायोगिक कक्षाओं के लिये जो छात्र-छात्रा इस महाविद्यालय में प्रवेश लेंगे केवल उन्हीं के परीक्षा आयोजन पत्र इस महाविद्यालय से विश्वविद्यालय के लिये अनुरूप किए जाएंगे, अन्यों के नहीं। अतः प्रायोगिक कार्य के लिये प्रवेश न पाने वाले छात्र-छात्राओं अपने परीक्षा फार्म इस महाविद्यालय में जमा न करें। निर्धारित शुल्क की सूचना तथा प्रवेश सूची अलग से यथा समय सूचित की जावेगी। प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को निर्धारित प्रायोगिक कार्य पूर्ण करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी।

#### **4. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-**

4.1 महाविद्यालय में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण एवं स्टाफ की उपलब्धता के आधार पर प्राचार्य विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्र संख्या का निर्धारण करें।

इस आधार पर महाविद्यालय में विभिन्न कक्षाओं हेतु निम्नानुसार सीटें निर्धारित हैं / -

(1) बी.ए. भाग - 1,2 एवं 3 , बी.एस.सी.भाग 1,2 एवं 3, बी. कॉम. भाग 1,2 एवं 3

(2) एम. ए. पूर्व/ अंतिम (हिन्दी साहित्य कक्षाओं हेतु)

4.2 सम्बद्ध विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय / विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालय में उन्हीं निर्धारित विषय / विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार प्रत्येक कक्षा में प्रवेश देंगे।

#### **5. प्रवेश सूची :-**

- (क) प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अंकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची प्रतिशत सहित सूचना पटल पर लगाई जावेगी। जिसमें प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि का भी उल्लेख होगा। सामान्य आरक्षित श्रेणी के लिए अलग - अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।
- (ख) प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं जहाँ आवश्यक हो स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जावेगी।
- (ग) निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश सम्भव होगा। प्रवेश पश्चात् स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को आवश्यक रूप से निरस्त की सील लगाकर उसे निरस्त कर दिया जावेगा।
- (घ) घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर नियमानुसार प्रवेश हेतु विलंब शुल्क रूपये 100/- - असासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा। तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जुलाई के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- (ड) प्रवेश के इच्छुक छात्र/छात्राओं को जनभागीदारी प्रबन्धन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।
- (च) प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की स्वयं की उपस्थिति आवश्यक होगी।

#### **6. प्रवेश की पात्रता :-**

- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छ.ग. में स्थायी संपत्तिधारी निवासी / राज्य अथवा केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छ.ग. में हो उनके पुत्र/ पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शास. महा. वि. में प्रवेश दिया जावेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् स्थान रिक्त होने पर अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अंकारी परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
- (ख) किसी भी संकाय से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। 10+2 परीक्षा का तात्पर्य छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के विद्यालयों

के इंटरमिडीयेट बोर्ड के समकक्ष परीक्षा से है।

स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश हेतु उस विषय का अध्ययन स्नातक स्तर में करना आवश्यक है। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों की उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। यदि किसी छात्र के पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो उसे प्रवेश की पात्रता हो लेकिन उसे मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र जिसमें प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने कहीं प्रवेश नहीं लिया है, जामा करना होगा।

(ग) मान्यता प्राप्त बोर्ड / वि.वि. से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने पर प्रवेश दिया जावेगा। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन / सी.डी.एस.ई. तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमिडीयेट बोर्ड की 10+2 की परीक्षायें माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष हैं। मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालय में उपलब्ध है।

(घ) सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं उनको समस्त परीक्षायें छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। उसमानिया एवं ककातिया के बी.ए./बी.काम. डायरेक्ट वन सिटिंग की परीक्षायें मान्य नहीं हैं।

(च) सम्बद्ध विश्व विद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं यू.सी.जी. द्वारा समय-समय पर जारी कर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त की जावेगी।

(छ) आयु सीमा - स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से कम आयु होना आवश्यक है। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जावेगी। आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार / भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोगित व अनुशासित प्रत्याशियों भारत सरकार द्वारा प्रायोगित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशासित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गए छात्रों अथवा अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा पेंट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

अ.जा./अ.ज.जा/पिछडा वर्ग/विकलांग/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी।

(ज) वाह्य आवेदकों का प्रवेश :- स्नातक स्तर तक एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम या द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के बाद ही नियमित प्रवेश दिया जावेगा आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र आवश्य देना होगा। छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से उत्तीर्ण छात्रों को भी पात्रता प्रमाण पत्र जमा करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

(झ) अस्थायी प्रवेश :- अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा के एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी। प्रवेश, स्थान रिक्त होने पर गुणानुक्रम के आधार पर होगा। उपरोक्त कंडिका (छ) के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जावेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश, नियमित प्रवेश के रूप में मान्य होगा।

## 7. प्रवेश की आपात्रता :-

निम्न प्रकार के विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा -

(क) किसी भी महाविद्यालय / वि.वि. शिक्षण विभाग से किसी संकाय की कक्षा में एक बार नियमित प्रवेश लेकर परीक्षा में सम्मिलित न होने/अध्ययन छोड़ देने / अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

- (ख) जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो और / या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण घल रहे हों।
- (ग) परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/आधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आशोप हों / चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित न हों।
- (घ) महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले / ऐंगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (च) जो छात्र स्नातक स्तर की किसी संकाय की उपाधि प्राप्त कर लेता है उसे स्नातक स्तर पर अन्य किसी संकाय में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश की पात्रता नहीं है।
- (छ) जिन विद्यार्थियों के विरुद्ध महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के द्वारा सर्वानुमति से प्रवेश न देने संबंधी निर्णय लिया गया हो।
- (ज) पूर्णालीन शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र पर आवेदक द्वारा नियोक्ता की अनापूर्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

### **(झ) विश्वविद्यालयीन नियम :-**

1. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र/छात्राये इस विश्वविद्यालय को छोड़कर यदि मध्यप्रदेश के बाहर के विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण होकर आते हैं, तो उन्हें प्रवेश देने के पूर्व विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही प्रवेश दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल एवं सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन नई दिल्ली द्वारा संचालित 10+2 (बारहवीं) परीक्षा को छोड़कर अन्य बोर्ड अवधा प्री-डिग्री यूनिवर्सिटी परीक्षा उत्तीर्ण कर आने वाले छात्रों को भी पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही उन्हें प्रवेश दिया जायेगा।
  2. पात्रता हेतु उन्हें अपने समरूप पूर्ववर्ती परीक्षाओं के अभिप्राप्तानित स्वच्छ फोटो प्रतियों, उपाधि प्रमाण पत्र, प्रवजन प्रमाण पत्र की भी फोटो स्टेट प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों के साथ विश्वविद्यालय भेजना होगा। उक्त आवश्यक कागजात प्राप्त होने पर पात्रता हेतु फीस 40.00 (चालीस रुपये मात्र) जमा करना आवश्यक होगा तथा विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने पर 200.00 (दो सौ रुपये) विलंब शुल्क लगेगा जो नियमित छात्रों के लिए प्रवेश की तिथि समाप्त होते ही तथा अमहाविद्यालयीन छात्रों के लिए परीक्षा आवेदन पत्र जैसे ही विलंब शुल्क लागू होते हैं, उसी तिथि से विलंब शुल्क लागू हो जायेगा।
  3. पात्रता प्रमाण पत्र देने हेतु विश्वविद्यालय को कम से कम तीन दिनों एवं कुछ विशेष परिस्थितियों में अधिक समय लग सकता है। एतत्व यह सुझाव है कि वे अपना आवेदन समयानुसार विश्वविद्यालय में जमा करें।
  4. यदि छ.ग. के बाहर के विश्वविद्यालय के पार्ट परीक्षा में उत्तीर्ण होकर इस विश्वविद्यालय की पार्ट परीक्षा में सम्मिलित होना हो तो आवेदक को उक्त विश्वविद्यालय का उक्त सत्र का पाठ्यक्रम भी संलग्न करना होगा ताकि परीक्षण कर प्रकरण निपटाने में आसानी हो सकें।
  5. राष्ट्रीय ओपन स्कूल नई दिल्ली द्वारा संचालित 10+2 परीक्षा (पांच विषयों में उत्तीर्ण) छात्र को त्रिवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की पात्रता है।
  6. रविशंकर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्वशासी महाविद्यालय खंड परीक्षा उत्तीर्ण कर गेर स्वसाशी महाविद्यालय में अगली कक्षा में प्रवेश की पात्रता है।
8. **प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-**
- (क) प्रथम वर्ष स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित, स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
  - (ख) स्नातक अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का क्रम निम्नानुसार होगा - उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्र।
  - (ग) किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय के स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में

स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही विद्या जा सकेगा।

- (घ) आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान उसके निवास/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले समीपस्थ स्थानों महाविद्यालय में आवेदित विषय / विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय / विषय समूह में प्रवेश हेतु अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय / विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जायेगा।
- (ङ) **गुणानुक्रम** - उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जायेगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के साथ देय अधिभार जोड़कर गुणानुक्रम निर्धारित होगा। सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग अलग गुणानुक्रम सूची बनाई जायेगी।

## 9. आरक्षण :-

शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप प्रवेश हेतु आरक्षण निम्नानुसार होगा -

- (क) अजा. एवं अजजा. के आवेदकों के क्रमशः 12 तथा 32 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।
- (ख) पिछडे वर्ग (चिकने स्तर को छोड़कर) के लिए 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।
- (ग) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा।
- (घ) सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
- (च) आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीद्वारा अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा गया है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेंगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे स्व. संग्राम से आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जायेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।
- (छ) आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- (ज) प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिए पर्याप्त छात्र/छात्राओं उपलब्ध न होने पर आरक्षित स्थान अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

## 10. संकाय/ विषय ग्रुप / परिवर्तन :-

- (क) स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/ विषय परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत अंक घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार घटे हुए प्राप्तांकों पर देय होगा।
- (ख) महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/मुप परिवर्तन की अनुमति प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलंब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 3.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि 15 दिन तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थीयों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/ संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

## 11. अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए प्रदान किया जायेगा। पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

- 11.1 एन.सी.सी./एन.एस./स्काउट्स (स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स)-**
- (क) एन.एस.एस./ एन.सी.सी. ए सार्टिफिकेट - 2 प्रतिशत
  - (ख) एन.एस.एस./ एन.सी.सी. बी सार्टिफिकेट या द्वितीय सोपान स्काउट्स - 3 प्रतिशत
  - (ग) एन.सी.सी. सार्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स - 4 प्रतिशत
  - (घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रातियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र को - 4 प्रतिशत
  - (च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में द्वितीयसगढ के एन.सी.सी./ एन.एस.सी. कन्टिनेजेन्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को - 5 प्रतिशत
  - (छ) राज्यपाल स्काउट्स - 5 प्रतिशत
  - (ज) राष्ट्रपति स्काउट्स - 10 प्रतिशत
  - (झ) छ.ग. सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट - 10 प्रतिशत
  - (झ.) द्वयूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट - 15 प्रतिशत
  - (ट) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्योज प्रोग्राम एन.सी.सी./ एन.एस.एस. के तहत घयन एवं प्रवास करने वाले केडेट को / अन्तर्राष्ट्रीय जम्हूरी के लिए घयनित विद्यार्थी को - 15 प्रतिशत
  - 11.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर - 10 प्रतिशत
- 11.3 खेलकृद/ साहित्यिक/ सांस्कृतिक/ विवर्ज/ रूपांकन प्रतियोगितायें:-**
- 1. लोक शिक्षण संचालनालय अथवा द्वितीयसगढ राज्य उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/ क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में -
    - (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को - 2 प्रतिशत
    - (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को - 4 प्रतिशत  - 2. म. प्र./ छ.ग. शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में
    - (क) छ.ग./ म.प्र. राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को - 10 प्रतिशत
    - (ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. राज्य की टीम के सदस्यों को - 12 प्रतिशत  - 3. उपरोक्त केंदिका 11.3 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा क्षेत्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्व विद्यालय संघ ए. आई. यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में -
    - (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को - 6 प्रतिशत
    - (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपरोक्त स्थान प्राप्त करने वालों को - 7 प्रतिशत
    - (ग) संभाग/ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगियों को - 5 प्रतिशत  - भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में -
    - (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले को - 15 प्रतिशत
    - (ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान अर्जित करने वाले टीम के सदस्यों को - 12 प्रतिशत
    - (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को - 10 प्रतिशत  - 5. भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साइन्स एवं कल्चरल एक्योज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/ सांस्कृतिक/ साहित्यिक/ कला क्षेत्र में घयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को - 10 प्रतिशत

6. जम्मू काशीर के विद्यापितों तथा उनके आश्रितों का 1 प्रतिशत
- 11.4 विशेष प्रोत्साहन** – ए.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ केडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स आथोरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बग्रे गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जाय जिनकी उनकी पात्रता है बशर्ते कि –
- इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक खेल एवं युवक कल्याण छ.ग. द्वारा अभिप्रायानुसार किया गया हो। (३)
  - यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अन्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है परन्तु इस प्रकार की सुविधा द्वारा प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः करना आवश्यक होगा। (३)
- 11.5 प्रथम वर्ष में प्रवेश** हेतु राष्ट्रीय स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विशेष तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जावेंगे। स्नातक द्वितीय तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे। (३)

## 12 प्रवेश के समय भुगतान किए जाने वाले शुल्क : –

(क) शासकीय शुल्क –

- |                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 1. (पूरे सत्र का) शिक्षण शुल्क | रु. 115/- |
| 2. रेतेशनरी शुल्क              | रु. 2/-   |
| 3. प्रयोगशाला शुल्क            | रु. 20/-  |
| 4. प्रवेश शुल्क                | रु 3/-    |
| 5. पुनः प्रवेश शुल्क           | रु. 10/-  |

(ख) अशासकीय शुल्क –

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. सम्मिलित निधि शुल्क            | रु. 32/-  |
| 2. स्नेह सम्मेलन शुल्क            | रु. 5/-   |
| 3. परिचय पत्र शुल्क               | रु 3/-    |
| 4. महाविद्यालय विकास शुल्क        | रु. 25/-  |
| 5. छात्र समिति शुल्क              | रु. 2/-   |
| 6. वि. वि. नांकन शुल्क            | रु. 150/- |
| 7. निर्धन छात्र सहायता निधि शुल्क | रु. 5/-   |
| 8. कामन रुम शुल्क                 | रु. 20/-  |
| 9. विभागीय पुस्तकालय शुल्क        | रु. 15/-  |
| (स्नातकोत्तर छात्रों के लिए)      |           |
| 10. अंतरिक मूल्यांकन शुल्क        | रु. 75/-  |

ग. जनभागीदारी शुल्क –

- महाविद्यालयीन विकास शुल्क 600/- (नियमित छात्रों के लिए) (३)

**(ड) महाविद्यालय शुल्क -**

1. महाविद्यालय शारीरिक कल्याण शुल्क रु. 150/-
2. विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क वि. वि. द्वारा निर्धारित
3. अप्रवासन शुल्क (माझेश्वर) रु. 200/-

**(च) सुरक्षा निधि -**

1. स्नातक स्तर ( तीन वर्षों के लिए ) रु. 60/-
2. स्नातकोत्तर (दो वर्षों के लिए ) रु. 100/-

**टिप्पणी -**

**प्रवेश नियमों में छ.ग. शासन द्वारा किये गये परिवर्तन मान्य होंगे ।**

1. सभी प्रकार के शुल्क में शासन द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।
2. प्रवेश मिल जाने के बाद प्रत्येक छात्र-छात्रा को संपूर्ण संत्र के लिए अनिवार्य रूप से शैक्षणिक शुल्क देना होगा। महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि अथवा महाविद्यालय छोड़ने की तिथि से इनका कोई संबंध नहीं है।
3. केवल छ.ग. की किसी अन्य शासकीय संस्था से स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश होने की अवस्था में जितने शिक्षण शुल्क का छात्र भुगतान कर चुका है वह उसे पुनः नहीं देना होगा। ऐसे छात्र पूर्ण महाविद्यालय से शुल्क का भुगतान करने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. किसी भी प्रकार का शुल्क जमा करते समय प्रवेश पत्र एवं परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

**13. शिक्षण शुल्क संबंधित रियायतें :-**

शुल्क संबंधी निम्नलिखित रियायतें केवल पूर्णकालीक छात्र/छात्राओं को ही मिल सकेगी।

1. राज्य शासन के सेवारत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों के अध्ययन शुल्क में पूर्ण रियायत दी जाती है। द्वितीय श्रेणी के उन कर्मचारियों के बच्चों को अध्ययन शुल्क में पूर्ण रियायत दी जाती है। जिनकी आय 675.00 (पुनरीक्षित) अथवा पूर्व वेतनमान 500.00 तक हो यह रियायत छात्र/छात्राओं को जिस कार्यालय में उनके माता/पिता सेवारत हो उस कार्यालय के सर्वोच्च अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी जा सकेगी।
2. राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों के लिए अध्ययन शुल्क में पूर्ण रियायत बरती जायेगी।
3. दो से अधिक भाई-बहन (एक ही परिवार से) इस महाविद्यालय में एक ही कक्षा में अध्ययन करते हैं तो उसमें से सबसे बड़े को पूर्ण और शेष का आधा शिक्षण शुल्क देना होगा।
4. शासन की ओर से कृषक पुत्रों/पुत्रियों के शिक्षण शुल्क में रियायत का प्रावधान है। वी.ए./वी.काम/वी.एस.सी. की कक्षा में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थीयों को सत्र में मात्र 78.00 शिक्षण शुल्क जमा करना होगा। इसके लिए जिलाधीश अथवा अधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क का भुगतान पूर्णतः माफ है इसके लिए उन्हें जिलाधीश से या अधिकृत स्थानीय अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे छात्र/छात्राओं को समय समय पर महाविद्यालय के सूचना फलक में दी गई सूचनाओं का अवलोकन करते रहना चाहिए। अन्य शुल्क उन्हें पूरे जमा करना होगा, मात्र शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्ति का प्रावधान है।

**14. प्रवेश पत्र एवं उपयोग -**

महाविद्यालय में प्रवेश की सूचना भिलने के साथ ही प्राप्त प्रवेश पत्र समस्त देय शुल्कों का पूर्ण विवरण भी रहता है अतः सभी

छात्र/छात्राओं को चाहिए कि वे अपने प्रवेश पत्र सावधानीपूर्वक रखें। छात्र/छात्राओं को प्रत्येक शुल्क का भुगतान करते समय अपना प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश पत्र प्रस्तुत किए बिना महाविद्यालय द्वारा कोई शुल्क जमा नहीं होगा। यह विद्यार्थियों के हित में है कि वे शुल्क का भुगतान करते समय इस बात की जांच कर लें कि प्रवेश पत्र में संबंधित प्रविधियां सही की गई हैं। प्रवेश पत्र गुम हो जाने की अवस्था में छात्र/छात्राओं को ₹ 5.00 जमा करके नया (डूप्लीकेट) प्रवेश पत्र प्राप्त करना होगा।

### **15. परिचय पत्र एवं उपयोग -**

प्रत्येक छात्र/छात्रा को महाविद्यालय में प्रवेश देते समय एक परिचय पत्र दिया जाता है। छात्र/छात्रा को महाविद्यालय में हमेशा यह परिचय पत्र अपने पास रखना होगा तथा सक्षम अधिकारी द्वारा मांगने पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। मांगे जाने पर परिचय पत्र प्रस्तुत न किए जाने की अवस्था में छात्र/छात्रा की किसी भी शिक्षक/शारीरिक शिक्षा निर्देशक के द्वारा कक्षा अथवा महाविद्यालय समारोह में सम्मिलित होने से रोका जा सकता है। परिचय पत्र के लिए आवश्यक दो पासपोर्ट आकार के फोटो छात्र/छात्राओं को प्रवेश के समय जमा करना होगा। परिचय पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही संबंधित छात्र/छात्रा को पुस्तकालय से पुस्तकें निर्गमित की जा सकती हैं। स्थानांतरण प्रमाण पत्र अथवा सुरक्षा निधि की वापसी के समय भी परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। परिचय पत्र खो जाने की अवस्था में छात्र/छात्रा को ₹ 10.00 शुल्क जमा करके परिचय पत्र की दूसरी कापी (डूप्लीकेट) प्रति प्राप्त करनी होगी।

### **16. प्रवेश आवेदन पत्र जमा करना, साक्षात्कार एवं शुल्क का भुगतान :-**

प्रवेशार्थी छात्र/छात्रा महाविद्यालय द्वारा घोषित तिथि की समाप्ति के पूर्व अपना आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करें और आवेदन पत्र जमा करने की पावती प्राप्त कर लें। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र (आवेदन पत्र में उल्लिखित) संलग्न करे साथ ही अपना दो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ भी लगायें।

यदि प्रवेशार्थी को प्रवेश के पूर्व साक्षात्कार के लिए बुलाया जाय तो उसे सभी प्रमाण पत्रों की तथा अंक सूची का मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। आवश्यक शुल्क निर्धारित समय में जमा करने के पश्चात ही आवेदक का नाम प्रवेश प्राप्त महाविद्यालय छात्र/छात्रा की सूची में सम्मिलित किया जावेगा। निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा न करने की स्थिति में प्रवेश निरस्त माना जावेगा/ विलम्ब शुल्क देय होगा।

**17. अनुशासन :-** महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता को एक अंभीर तथा दण्डनीय अपराध माना जावेगा। इस विषय में तुरंत कार्यावाही की जावेगी। विद्यार्थी से विनम्र एवं अनुशासित रहने की अपेक्षा के साथ ही उसके लिए कक्षाओं में सभी विषयों में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा वे महाविद्यालय परिसर में किसी प्रकार की अभद्रता नहीं करें। अन्यथा ऐसे मामलों में उनके शुल्क को सूचित कर उसे महाविद्यालय से निष्कासित भी किया जा सकेगा। ऐसे किसी भी विदावाद में प्राचार्य भवोदय का निर्णय अंतिम होगा। महाविद्यालय का अनुशासन हमेशा सराहनीय रहा है। ऐसी आशा की जाती है कि इस परम्परा का भविष्य में भी निर्वाह होता रहेगा। विद्यार्थी का आवश्यक तथा व्यवहार अपने सहपाठियों कर्मचारियों और प्राध्यापकों के साथ अच्छा रहेगा, ऐसी अपेक्षा की जाती है। विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर में या बाहर अपने व्यवहार द्वारा महाविद्यालय का मरम्मत करना रखेंगे तथा महाविद्यालय परिसर में नियमों का एवं आवश्यक संहिता का पालन करना उनका आवश्यक कर्तव्य होगा।

### **17.1 आवश्यक संहिता - छात्रों के पालनार्थ :-**

1. छात्रों को सारल निर्वासनी और मितव्ययी जीवन ही बिताना चाहिए अतएव विशेषतः कालेज की सीमाओं में किसी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन न करें। छात्रों को वेशभूषा की तड़क भड़क या विलासितापूर्ण शृंगार शोभा नहीं देता, इसका छात्र/छात्राओं को ध्यान रखना होगा।
2. छात्रों की यदि कोई कठिनाई हो तो उसे प्राध्यापक अथवा प्राचार्य के समक्ष निर्धारित प्रणाली से शांतिपूर्वक आवेदन के रूप में प्रस्तुत करना उचित होगा।
3. आन्दोलन, हिंसा अथवा आतंक द्वारा किसी भी कठिनाई को हल करने का मार्ग वे नहीं अपनायें।
4. छात्र सक्रिय दलगत राजनीतित में भाग नहीं लेंगे और अपनी समस्याओं के विषय में राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों आदि के माध्यम से न तो हस्तक्षेप करायेंगे और न इनसे कोई सहायता मांगेंगे।

5. परीक्षाओं में या उसके संबंध में किसी प्रकार से अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचार माना जावेगा।
6. महाविद्यालय की प्रतिष्ठा और कीर्ति कैसे बढ़े और उसमें किसी प्रकार का कलंक न लगे, ऐसा व्यवहार छात्रों को अनुशासन और संयम में रहकर करना चाहिए।
7. आचरण के साधारण नियमों के भंग होने पर छात्रों को चाहिए कि वे दोषी व्यक्ति को उचित दण्ड देने में सहयोग दे, जिससे महाविद्यालय का प्राथमिक कार्य (अध्ययन एवं अध्यापन) शांति और मनोरोग के साथ चल सके।
8. छात्रों को यह सावधानी रखनी होगी कि उन पर किसी अनैतिक मूलक या अन्य गंभीर अपराध का अभियोग न लगे। यदि ऐसा हुआ तो तत्काल उनका नाम महाविद्यालय से निरस्त कर दिया जावेगा और वे महाविद्यालय में किसी भी छात्र प्रतिनिधि के पद पर बने नहीं रह सकें।

## **17.2 अनुशासन संबंधी विश्वविद्यालयीन अधिनियम :— मध्यप्रदेश विश्व वि.**

अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय के छात्र/छात्रा महाविद्यालय में अथवा अनुशासन भंग किये जाने पर ऐसे छात्र/छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम है। अनुशासन हीनता के लिए उक्त अध्यादेश में निम्नांकित दण्ड का प्रावधान है – (1)निलम्बन (2) निष्कासन (3) विश्वविद्यालयीन परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना (4)रेस्टिकेशन

**17.3 ऐंगिंग एवं दण्ड विधानः**— ऐंगिंग की त्रासदायी प्रताडना को स्थायी रूप से रोका जा सके इसलिए महामहिम राज्यपाल के द्वारा 1 सितम्बर 2001 को छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताडता (ऐंगिंग) का प्रतिषेध अध्यादेश 2001 जारी किया गया है। इस अध्यादेश के द्वारा ऐंगिंग को सज्जोय तथा गैर जमानती अपराध माना गया है। अध्यादेश में ऐंगिंग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।

(क) ऐंगिंग से अभिप्राय है कि किसी छात्र/छात्रा को मजाक पूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से ऐसा कृत्य करने के लिए उत्प्रेरित बाध्य या मजबूर करना, जिससे उसके मानवीय मूल्य का हनन या उसके व्यक्तिव का अपमान या उपहास अभिवर्षित हो, या उसे अभित्रास, सदोष अवरोध, सदोष परिरोध या क्षति, या उस पर अपराधिक बल के प्रयोग या सदोष अवरोध, सदोष परिरोध क्षति या अपराधिक बल प्रयोग कर अभिवास देते हुए किसी पूर्ण कार्य से प्रविरत करता हो।

ऐंगिंग का अपराध सिद्ध पाये जाने पर न्यायालय द्वारा दोषी छात्र/छात्राओं को पांच वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है। तथा उसे संस्था से निष्कासित किया जा सकता। ऐसे छात्र/छात्रा को किसी भी शिक्षण संस्था में तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश से वंचित भी किया जा सकता। इस अध्यादेश के अंतर्गत प्रताडना का प्रकरण अन्वेषण या विचरण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान के द्वारा अभियुक्त छात्र/छात्रा को निलंबित करने तथा शैक्षणिक संस्था परिसर तथा उसके छात्रावास में प्रवेश से वंचित करने का भी प्रावधान है। प्रत्येक विद्यार्थी को ऐंगिंग में भाग न लेने संबंधी एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। इस वचन पत्र में छात्रों के अभिभावक के हस्ताक्षर होंगे।

**18. महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधायों :**— महाविद्यालय के छात्र/छात्रा के हित को ध्यान में रखते हुए इस महाविद्यालय में कठिपय योजनायें चलाई गई हैं जिनका विवरण निम्न हैः-

**18.1 सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र** — महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं का उचित पथ प्रदर्शन करने के लिए उपयुक्त विवरण देने के लिए, विभिन्न व्यवसायों के लिए आवश्यक योग्यता एवं वांछित मानसिक और शारीरिक दक्षता से परिचय कराने के लिए सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र की स्थापना की गई है। यह केन्द्र प्राचार्य द्वारा मनोनीत प्राध्यापकों/ग्रन्थपाल की देखरेख में कार्य करता है तथा महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के लिए यह बहुत उपयोग प्रमाणित हो रहा है।

**18.2 बुक बैंक योजना** — महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं को 20 सूत्रीय कार्यक्रम का लाभ देने के द्वारा से महाविद्यालय ने बुक बैंक योजना लागू की है। इस योजना के अनुसार छात्र/छात्राओं का अध्ययनार्थ पाठ्य पुस्तकों दी जाती है। यह योजना योग्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निर्धन छात्र/छात्राओं के लिए है इसके तहत पुस्तकों उपलब्ध हैं। छात्र/छात्राओं निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

### **18.3 पुस्तकालय :-**

महाविद्यालय के पुस्तकालय में लाभ प्रद पुस्तकें हैं। पृथक से विभागीय पुस्तकालय भी है, जिससे स्नातकोत्तर कक्षा के विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं। महाविद्यालय द्वारा कई प्रमुख समाचार पत्र, साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाएं मंगवाई जाती हैं। महाविद्यालय में सभी विद्यालय संचालन का समय सत्र के प्रारंभ में सूचित किया जाता है। महाविद्यालय के सभी नियमित छात्रों को पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त करने की सुविधा है। पुस्तकें लेते समय अपना परिचय पत्र एवं पुस्तकालय पत्रक प्रस्तुत करना होता है।

### **पुस्तकालय का सामान्य नियम :-**

1. स्नातक कक्षा के छात्र एक समय में पुस्तकालय से 14 दिन की अवधि के लिए 1 पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक कक्षा के लिए निर्धारित दिन एवं समयानुसार पुस्तकालय से पुस्तकों का लेन-देन करना होगा।
2. स्नातकोत्तर कक्षा के छात्र अपने विभागीय पुस्तकालय से 14 दिन की अवधि के लिए पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि के पश्चात पुस्तकें वापस नहीं करने वालों को विलंब के प्रतिदिन प्रतिबुक की दर से अर्थदण्ड देना होगा।
3. छात्रों को चाहिए कि पुस्तकें निर्गमित करते समय वे पुस्तकों का सावधानी पूर्वक निरीक्षण कर लें और पुस्तकों के वृष्ट करें-फटे या कोई पृष्ठ न होने पर ग्रन्थपाल/सहायक ग्रन्थपाल को तत्काल सूचित कर उनके हस्ताक्षर करवा लें।
4. पुस्तकालय की पुस्तकों में लिखना/रेखांकित करना/पृष्ठ निकालना या किसी प्रकार की क्षति पहुँचाना दण्डनीय है।
5. पुस्तकालय से निर्गमित पुस्तकों को परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व वापस किया जाना आवश्यक होता है किन्तु जिन छात्रों को पुस्तकें नहीं लौटानी हो वे अवधान राशि एवं तत्संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पुस्तकें परीक्षा समाप्ति तक अपने पास रख सकते हैं। अवधान राशि पुस्तकें जमा करने पर वापस लौटा दी जायेगी।
6. छात्र/छात्राओं को यह सुझाव दिया जाता है कि पुस्तकालय के सभी नियमों एवं सूचनाओं से स्वतः अवगत होते रहें।

### **18.4 स्वास्थ्य परीक्षण :-**

महाविद्यालय के प्रत्येक नियमित छात्र/छात्रा को मेडिकल आफिसर के सामने उपस्थित होकर अपना स्वास्थ्य की जांच करानी होगी। परीक्षण की तिथि एवं समय यथा समय सूचित किया जाता है।

### **18.5 समिलित नियम समिति :-**

शासन के निर्वशानुसार महाविद्यालय की समिलित नियम का नियंत्रण एवं नियमानुसार आवंटन के लिए एक समिलित नियम समिति का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी रहते हैं:-

(अ) अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष

महाविद्यालय के प्राचार्य

(ब) उपाध्यक्ष

महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक

(स) सचिव

प्राचार्य द्वारा मनोनीत प्राध्यापक

(स) सदस्य

1. प्राध्यापक/सहा. प्राध्यापक (प्राचार्य द्वारा मनोनीत)

2. छात्र सदस्य छात्र संघ अध्यक्ष एवं सचिव, खेलकूद कप्तान

मे से तथा विभिन्न शैक्षणिक समितियों सदस्य होंगे

### **18.6 अनुशासन समिति :-**

विद्यार्थियों के आपसी भत्तेदों और साधारण झगड़ों को निपटाने तथा उनकी कठिनाईयों को दूर करने में मदद देने और उन्हें हर प्रकार की सहायता देने के लिए प्राध्यापकों की एक अनुशासन समिति गठित की जाती है।

### **18.7 छात्रवृत्तियां / शिष्यवृत्तियां :-**

महाविद्यालय शिक्षा संचालन छ.ग. रायपुर के द्वारा छ.ग. शासन तथा भारत सरकार की ओर से नियमित विद्यार्थियों को अनेक प्रकार से छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्तियां प्रदान की जाती है। इच्छुक विद्यार्थी पात्रतानुसार अपने आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के पहले पूर्ण करके महाविद्यालय कार्यालय में जमा कर दें। प्रपत्र जमा करने की निर्धारित तिथि एवं कार्यालय के प्रारूप प्राप्त करने की सूचना महाविद्यालय के सूचना फलक में लगा दी जायेगी। एक विद्यार्थी कई छात्रवृत्तियों के लिए प्रपत्र प्रस्तुत कर सकता है। परन्तु उसे छात्रवृत्तियों के नियमानुसार एक ही छात्रवृत्ति प्राप्त हो सकती है।

छात्रवृत्तियों/शिष्यवृत्तियों के नाम	आवधि	गैर छात्रवासी /छात्रावासी	योग्यता का आधार	न्यूनतम आय संबंधी
1	2	3	4	5
(क) भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय)				
1. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	3 वर्ष	650/720 रु. वार्षिक	हा.से. पास 50% अंक	माता पिता के वार्षिक आय रु. 6000/- से कम माता पिता के वार्षिक आय 6000/- से कम
2. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्नातक (सामान्य)	3 वर्ष	60/100 रु प्रतिमाह	हा.से. पास 60%	योग्यता एवं साधन वार्षिक आय 24000 रु
3. प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों के बच्चों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	30 माह	150 रु प्रतिमाह	हा. से. पास 55%	
(ख) राज्य शासन एकीकृत छात्रवृत्ति (शिक्षा विभाग)				
1. स्नातक छात्रवृत्ति (योग्यता)	30 माह	150 प्रतिमाह	हा. से. पास 60%	आय बंधन नहीं
2. स्नातक शिष्यवृत्ति (योग्यता एवं साधन)	3 वर्ष	150 प्रतिमाह	45 %	अधिकतम आय 6000/-
3. खेलकूद छात्रवृत्ति (योग्यता	10 माह	150 प्रतिमाह	45%	वि. वि. खेलकूद समारोह के लिए प्रदर्शन योग्यता के आधार राष्ट्रीय छात्र सेना के वार्षिक शिदिर में दिखाई गई योग्यता के आधार पर (योग्यता) 6000/-
4. राष्ट्रीय छात्र सेना छात्रवृत्ति	10 माह	100 प्रतिमाह	45%	
5. मृत शास. कर्मचारी या शरीर से असर्पण कर्मचारी/सेवानिवृत्त कर्मचारी के बच्चों को विशेष स्नातक शिष्यवृत्ति		65/100 रु		
6. मृत सैनिकों के बच्चों को मिलने वाली शिष्यवृत्ति		65/100 रु		मृत सैनिक छ.ग. का निवासी हो
7. बी.पी.एल. छात्रवृत्ति		स्नातक - 300/- स्नातकोत्तर 500/-	गरीबी रेखा प्रमाण पत्र	
8. डाकुओं तथा डाकुओं के द्वारा मारे गये लोगों के बच्चों को स्नातक शिष्यवृत्ति		स्नातक 50तथा 75रु स्नातकोत्तर प्रतिमाह	गरीबी रेखा प्रमाण पत्र	साधन के आधार पर
9. निर्धनता तथा योग्यता के आधार पर विशेष स्नातक छात्रवृत्ति अथवा एक मुश्त अनुदान		500/600 रु	45%	निर्धनता एवं योग्यता के आधार पर

टीप:- ( 1 ) उपरोक्त नियमों, आय पात्रता- आधार संबंधी शर्तों, वार्षिक दर से शासन के निर्णयानुसार कभी भी परिवर्तन व संशोधन हो सकता है जो कि महाविद्यालय सूचना फलक में लगा दिया जायेगा। ( 2 ) कर्मचारियों की आय मूल वेतन को मानी जायेगी। ( 3 ) अपूर्ण या गलत प्रपत्र अथवा अतिम तिथि के पश्चात प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्र अमान्य कर दिये जायेंगे। ( 4 ) यदि विद्यार्थी विगत वर्ष से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा हो तो उसे नवीनीकरण हेतु कार्यालय में प्रपत्र लेकर जुलाई माह में फिर से आवेदन करना होगा। नवीनीकरण का आधार पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ( 5 ) उपरोक्त के अलावा अन्य छात्रवृत्तियों की जानकारी भी महाविद्यालय सूचना

## **19. महाविद्यालयीन जन - भागीदारी प्रबंधन समिति :-**

शासन ने महाविद्यालय की चाहुंसूखी विकास हेतु नीति निर्धारण करने एवं आय के स्रोत खोजने तथा प्राप्त आय के समुचित व्यय करने के लिए सुझाव देने एवं नियंत्रण रखने, महाविद्यालय की समस्याओं का निश्चकरण करने हेतु निर्वेश देने आदि के लिए महाविद्यालय विकास जनभगीदारी समिति का गठन किया है। इस समिति के अंतर्गत तीन उपसमितियों यथा सामान्य परिषद, प्रबंध समिति एवं विद्यालय समिति का गठन किया गया है। विभिन्न समितियों के पदाधिकारियों के रूप में जन प्रतिनिधि, शासन के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय एवं यू.जी.सी. के प्रतिनिधि-स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधि यथा ग्राम पंचायत प्रमुख, दानदाता, औद्योगिक संगठन का प्रतिनिधि बैंक प्रबंधन, कोषालय अधिकारी, भूतपूर्व छात्र, कृषक, छात्र अभिभावक, महिला प्रतिनिधि, अ.जा./अ.ज.जा./पिछडे वर्ग के प्रतिनिधि, महाविद्यालय का प्राचार्य एवं प्राध्यायपक प्रतिनिधियों का विभिन्न स्तरों द्वारा मनोनयन किया जाता है। समिति की वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होती है जिसमें विभिन्न बिन्दुओं पर विचारोपरांत निर्णय लिए जाते हैं।

## 20. शिक्षक - अभिभावक योजना :-

विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने एवं व्यवसायिक मार्गदर्शन देने तथा उनके समस्याओं के निदान हेतु छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालय में शिक्षक अभिभावक योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक छात्र को महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त होते ही अभिभावक के रूप में एक शिक्षक से संबंध कर दिया जावेगा। जब तक विद्यार्थी महाविद्यालय में अध्ययनरत रहेगा वही शिक्षक उसका शिक्षक अभिभावक होगा। शिक्षक-अभिभावक संबंधित छात्र से जीवंत संपर्क बनाए रखेंगे एवं छात्र संवेदी पुरी जानकारी (घरेलू एवं व्यक्तिगत) रखेंगे। छात्र कक्षा में उपस्थिति, उसकी प्रगति, छात्रवृत्ति, परीक्षा फार्म भरना, छात्र की लालिका को विकसित करना, उसकी समस्या का निदान करने का भरसक प्रयास करना, छात्र के माता-पिता से संपर्क रखना आदि कार्यों की महत्त्वी जिम्मेदारी शिक्षक-अभिभावक को सौंपी गई है। इस योजना की सफलता के लिए छात्रों का पूर्ण सहयोग आवश्यक है।

## 20. पाठ्येतर गतिविधियां :-

शैक्षणिक पाठ्यपत्र की भाँति इस महाविद्यालय में पाठ्येतर गतिविधियों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इस दृष्टि से इस महाविद्यालय में निम्न लिखित व्यवस्थायें हैं।

## 20.1 खेलकट :-

४५ छात्र/छात्राओं के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के ध्येय से इस महाविद्यालय में खेलकूद की समुचित व्यवस्था की गयी है। शासन की ओर से खेलकूद का प्रशिक्षण देने के लिए एक राजपत्रित ब्रीडा अधिकारी नियुक्त है। इसके अलावा प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय के एक वरिष्ठ प्राध्यापक को खेलकूद से संबंधित विद्यिध गतिविधियों की देखभाल के लिए सचिव के रूप में मनोनित किया जाता है। प्रत्येक खेल के लिए प्रभारी प्राध्यापक रहता है। इन सभकों भिलाकर एक समिति गठित होती है। महाविद्यालय के प्राचार्य इस समिति के संरक्षक और अध्यक्ष रहते हैं। यह समिति खेलकूद संबंधी निधि और गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण करती है। महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त खेलकूद संविधाओं – डंडेर एवं आउट डोर का विवरण निम्नांकित है :-

- (क) आउट डोर गेम - क्रिकेट, वैडमिन्टन, व्हालीवाल, कबड्डी, खो-खो एवं एथलेटिक्स  
 (ख) इन्डोर गेम - बॉल्डमिन्टन, बैडमिन्टन, व्हालीवाल, कबड्डी, खो-खो एवं एथलेटिक्स

## 20.2 राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) :-

छात्र-छात्राओं को समाज सेवा तथा जन कल्याण कार्यों का प्रशिक्षण देने के ध्यये से इस महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की भी व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के तहत छात्रों को पढ़ाई के साथ समाज सेवा का अवसर मिलता है। इस महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई है। जिसमें 100 छात्र को प्रवेश दिया जाता है। इसके द्वारा विद्यार्थी में मिलजुलकर काम करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। विद्यार्थी रचनात्मक, सामाजिक कार्यों में भाग लेता है, समाज के नागरिकों विशेषकर ग्रामवासियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें जागृत करना होता है। सामाजिक बुराई, यथा अशिक्षा, अच्छता, अस्पृश्यता, अधिविश्वास आदि के निराकरण में छात्र की सृजनात्मक शक्ति विकसित होती है।

**20.3 छात्र संघ का गठन :**— सत्र 2014-15 से वि.वि. के अध्यादेश क्र 1 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक सत्र में छात्र संघ का गठन किया जाता है। इनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह-सचिव, छात्र संघ पदाधिकारी एवं प्रत्येक कक्षा / सेक्शन से एक कक्षा प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से निर्वाचित होता है। छात्र संघ के अंतर्गत ही विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है।

### विशेष

1. जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गए प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश, यदि किसी अवेदक को प्रवेश मिल गया है तो ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है।
2. प्रवेश लेकर किसी कारण वश पूर्ण अनुमति/सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
3. म. प्र. भोज विश्वविद्यालय भोपाल से स्नातक की खंड परीक्षा उत्तीर्ण कर रविशंकर विश्वविद्यालय की खंड परीक्षा में प्रवेश की पात्रता नहीं है।
4. प्रवेश के बाद सत्र के दौरान महाविद्यालय छोड़ने/प्रवेश निरस्त होने/निष्कासन होने की स्थिति में विद्यार्थी को सिर्फ उसकी संरक्षित निधि (कॉशन मनी) ही वापस होगी।
5. प्रवेश के बाद सत्र के दौरान अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य हो है।

### छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता सामान्य नियम :—

- छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।
1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
  2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येतर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
  3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभ्रद व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
  4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
  5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्वसन और भित्तिव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
  6. महाविद्यालय तथा परिवेश की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित करेगा।
  7. महाविद्यालय में झुधर-उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना, गंदी बाते लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी को असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।

8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा। तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में भोवाईल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

### **अध्ययन संबंधी नियम :-**

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी को 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एनसीसी/एनएसएस में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की प्रतीक्षा नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुधरा रखेगा।
3. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकों, प्राप्त होगी तथा समय में न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए वह प्राध्यापकों अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशाला या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

### **परीक्षा संबंधी नियम :-**

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अद्वार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

### **महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र :-**

1. यदि छात्र किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रेंजिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिवेद्य अधिनियम 2001 के अनुसार रेंजिंग किये जाने पर अथवा रेंजिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करें।

### **नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की प्रतीक्षा :-**

1. प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. कुल सात आंतरिक परीक्षाओं में से कम से कम 5 में सम्मिलित होना आवश्यक है।
3. एनसीसी कैम्प/एनएसएस कैम्प/खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जायेगा।
4. उपस्थिति की गणना सत्र में दो बार की जावेगी।
5. कम उपस्थिति वाले छात्रों को तथा उसके पालकों को सूचना दी जायेगी।
6. विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इनसे अतिरिक्त शुल्क ले सकेंगे।

## महाविद्यालय परिवार

डॉ. एन.एस. वर्मा ( प्रभारी प्राचार्य )

1) श्री अजय श्रीवास्तव

2) श्रीमती अनिता पौष्टर्य

### 3 श्री टोपलाल

5) श्री डॉ. एल साव

6) श्री शेषनारायण उडके

7) श्री लवलेश वर्मा

### 8 श्री तुलु राम

9 10) श्रीमती शिव कुमारी पटेल

10) श्री प्रवीण कुमार वर्मा

- सहा. प्राध्यापक वाणिज्य

- क्रिडा अधिकारी

### सहा

### सहा प्राध्यापक

- प्रयोगशाला तकनीशियन

- प्रयोगशाला तकनीशियन

- प्रयोगशाला तकनीशियन

- भूत्य

- बुक लिपटर

- चौकीदार

स्व. श्री देवी प्रसाद जी चौबे रासकीय महाविद्यालय गड्डी ज़िला – राजनांदगांव [छ.ग.]

आवेदन पत्र नं.	403
पिछली उत्तीर्ण परीक्षा	
कक्षा	
वर्ष	
पूर्णांक	
प्राप्तांक	
प्रतिशत	

पासपोर्ट  
साईज़ फोटो

## प्रवेश हेतु आवेदन पत्र

- (01) कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिए .....
- (2) विषय आवेदक लेना चाहता है :-
- अनिवार्य विषय      1) ..... 2) ..... 3) .....
- 4) ..... 5) ..... 6) .....
- वैकल्पिक विषय      1) ..... 2) ..... 3) .....
01. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) .....
- (अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में) .....
02. (अ) पिता का नाम एवं .....
- व्यवसाय का पूर्ण विवरण सहित .....
- (ब) माता का नाम .....
03. जन्म तिथि (अंकों में) .....
04. आवेदक का पता (स्थायी) .....
- .....  
(स्थानीय) .....
- .....  
मोबाइल/फोन नं. ....
05. जन्म स्थान राष्ट्रीयता - 1) स्थान ..... 2) ज़िला .....  
3) राज्य ..... 4) राष्ट्रीयता .....
06. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी है यदि हां तो किस स्थान का .....
07. संरक्षक (यदि पिता जीवित न हो) का नाम .....
08. यदि आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/विमुक्ति जाति/विकलांग छात्र/छत्तीसगढ़ शासन के तृतीय या चतुर्थ वर्ग कर्मचारी की संतान, सेवा में नियुक्ति कर्मचारी का संतान हो तो उसका पूर्ण विवरण तथा प्रमाण पत्र संलग्न कीजिए। यदि पिछड़े वर्ग का हो तो जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें .....
- यदि अल्पसंख्यक हो तो जाति का नाम .....
- मुसलमान/सिक्ख/इसाई/पारसी/जैन/बौद्ध .....
09. यदि पिता/संरक्षक स्थानीय न हो तो स्थानीय संरक्षक का नाम .....
- पता .....  
मोबाइल/फोन नं. ....  
संबंध .....
10. अध्ययन की जाने वाली अंतिम संस्था का नाम .....
- वर्ष .....  
वि.वि. बोर्ड का नाम एवं नामांकन क्रमांक .....

11. प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता का विवरण :-

(सभी प्रवेशार्थियों द्वारा पूर्ण विवरण भरा जाना आवश्यक है )

उच्चीर्ण परीक्षा	बोर्ड /वि.वि. का नाम	शैक्षणिक संस्था का नाम	परीक्षा उच्चीर्ण काने का वर्ष	रोल नं.	विषय	पूर्णक / प्राप्तांक	प्रतिशत
हाई स्कूल 10वी							
हायर सेकेन्ड्री 12वी							
वी.ए.	प्रथम						
	द्वितीय						
	तृतीय						
एम.ए	पूर्ण						
	एम.काम						

कम्प्यूटर ज्ञान

है/नहीं (निशान लगाये, प्रमाण पत्र संलग्न करें )

12. क्या गत 5 वर्षों में आवेदक का अध्ययन क्रम निरंतर जारी रहा है, यदि नहीं तो कारण एवं अवधि का स्पष्ट उल्लेख किया जायें ?

13. शैक्षणिक प्राठेतर गतिविधियों/खेलकूद/एन.सी.सी./ए.सी.ली./एन.एस.एस. आदि गतिविधियों में आवेदक द्वारा अर्जित उल्लेखनीय उपलब्धियों/आवेदक को प्राप्त छात्रवृत्ति/पुरस्कार आदि का पूर्ण विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न) किया जाये ?

14. (अ) क्या गत वर्षों में आवेदक ने इस महाविद्यालय अथवा किसी विद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। उसे प्रवेश नहीं दिया गया, यदि ऐसा तो पूर्ण विवरण दीजिये।

(ब) क्या आवेदक ने इस महाविद्यालय अथवा अन्य किसी महाविद्यालय में अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन किया है यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण दीजिए।

15. क्या आवेदक सेवारत है ? हाँ तो विवरण देकर नियोक्ता की महाविद्यालय में अध्ययन के लिए लिखित अनुभति संलग्न की जावे।

टीप :- 1. प्रवेश, संकाय में विषय प्रावीण्यता के आधार में दी जायेगी।

2. प्रथम बार इस संस्था में प्रवेश हेतु वालों के लिए आवेदक की पासपोर्ट साईज की फोटो की दो प्रतियाँ एक प्रति आवेदन पत्र साथ एक आवेदन पत्र पर नियत स्थान पर लिपकारें।

## 16. संलग्न आलेख का सूचा :-

- 1) विद्यालय / महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र 2) जन्म तारीख प्रमाण पत्र 3) निवासी प्रमाण पत्र 4) बृहित्र प्रमाण पत्र (यदि पिछली परीक्षा असंस्थागत छात्र के रूप में उत्तीर्ण की है) 5) नियोक्ता की स्वीकृति 6) अनु. जाति / जनजाति / विमुक्त जाति / विकलांग छात्र के पिता च.ग. के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के कार्यवाही होने का प्रमाण पत्र होने का प्रमाण पत्र 7) प्रवेजन प्रमाण पत्र (यदि अन्य विश्वविद्यालय से आवेदक आया हो तो )  
नोट:- 1) अंक सूची एवं स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की प्रमाणिक छात्रा प्रति संलग्न करें। अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा  
2) 10वीं परीक्षा तथा इसके उपरांत समस्त उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंक सूची की छात्रा प्रति संलग्न करें।

## आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा

मैं घोषणा करता / करती हूं कि मैंने महाविद्यालय के समस्त नियमों, व्यवस्थाओं एवं आचरण संहित का अध्ययन कर लिया है तथा मैं प्रतिज्ञा करता / करती हूं कि मैं अध्ययनरत रहकर अपने कर्तव्यों एवं महाविद्यालय के नियमों, व्यवस्थाओं का पूर्णतः पालन करूंगा / करूंगी। मैं महाविद्यालय के कार्यकलाप तथा परिक्षाओं में किसी प्रकार की अव्यवस्था, अनुशासन, अनुशासन हीनता एवं हिसास्तक कार्यवाही में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप ये भाग नहीं लूंगा / लूंगी। प्रत्येक मामले में मे प्राचार्य महोदय के निर्देशों का पालन करूंगा / करूंगी। किसी पदाधिकारी के रूप में प्राचार्य महोदय द्वारा अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि की पूर्व अनुमति के बिना व्यय नहीं करूंगा / करूंगी ऐसे और से महाविद्यालय का कोई शुल्क या अन्य किसी प्रकार की राशि देय नहीं रखने दुंगा / दुंगी। मैं महाविद्यालय में नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहूंगा / रहूंगी मैं घोषणा करता करती हूं कि मेरे विरुद्ध गत वर्षों में अनुशासन भंग, दुराचार, परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग या दुर्व्यवहार अथवा अन्य किसी कारण से महाविद्यालय या किसी संस्था अथवा न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मैंने समस्त जानकारी इस आवेदन में दे दी है, तथा उसमें जब भी परिवर्तन होगा उसकी सूचना अनिवार्यतः दूंगा / दुंगी मैं यह घोषणा करता हूं / करती हूं कि मेरे द्वारा किसी भी तथ्य को नहीं छिपाया गया है, और न ही कोई असत्य जानकारी दी है। उपर्युक्त प्रतिज्ञा का उल्लंघन करने की स्थिति मे मेरा प्रवेश निरस्त करके अ न्य अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। अपनी प्रतिज्ञा मे प्रति मे उत्तरदायी हूं।  
मैंने महाविद्यालय संबंधी छात्रों के अ आचरण नियमों को पढ़ लिया है और प्रतिज्ञा करता हूं / करती हूं कि मे उनका पूर्णरूप से पालन करूंगा / करूंगी।

दिनांक .....

आवेदक के नाम व हस्ताक्षर

## पिता / अभिभावक का घोषण पत्र

मैं यह प्रमाणित करता हूं / करती हूं कि मेरे पुत्र / पुत्री / पात्नी द्वारा इस आवेदन में की गई जानकारी सत्य है। महाविद्यालय के नियमों एवं व्यवस्थाओं का मैंने अध्ययन कर लिया है। छात्रविद्यालय में उनके अ ध्ययन काल में उनके आचरण, कार्य, उपस्थिति एवं व्यवहार के संबंध में विशेष ध्यान रखूंगा / रखूंगी तथा इसके लिए पूर्णता उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को पूर्ण सहयोग देता रहूंगा / रहूंगी।

स्थान

पिता / अभिभावक के हस्ताक्षर

दिनांक

आवेदन पत्र की समस्त प्रविहियों की जाँच कर ली गई है तथा उन्हें ठीक पाया गया है। उसमें निम्नलिखित अपूर्णता है तथा निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये गये हैं।

लिपिक / मुख्य लिपिक

## दर्दन पत्र

मैं

पिता/माता

कक्षा

घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे ज्ञात है कि रैर्सिंग न केवल अपराध है बल्कि मानव अधिकार का हनन भी है। मैं इस प्रकार के किसी कृत्य में शामिल नहीं रहूँगा/रहूँगी। मुझे रैर्सिंग के संदर्भ में दी जाने वाली सजा की जानकारी है और यदि मैं रैर्सिंग की घटना में शामिल पाया/पायी जाता/जाती हूँ तो मैं दंड का भी भागी रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक -

हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा

## पिता/अभिभावक का घोषण पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा पाल्पर रैर्सिंग के किसी कृत्य में शामिल नहीं होगा/होगी। मुझे रैर्सिंग वे दी जाने वाली सजा है आत्म।

यदि मेरा पाल्पर रैर्सिंग के किसी प्रकरण में लिप पाया/पायी जाता/जाती है, तो उसको दी जाने वाली सजा से भी सहमत रहूँगा/रहूँगी।

स्थान

पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

दिनांक

## प्रवेश समिति की अनुशंसा

आवेदक को कक्षा ...में निम्नलिखित विषयों में प्रवेश की अनुशंसा की जाती है।

विषय 1) .....

2) .....

3) .....

4) .....

5) .....

6) .....

अथवा

2) आवेदक निम्नलिखित कठियों पूरी करें तभी उसे प्रवेश की पात्रता होगी।

संयोजक प्रवेश समिति

## प्राचार्य का आदेश

1) आवेदक को उपरोक्तानुसार अस्थायी प्रवेश दिया जाता है। या

2) आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है।

प्रवेश पत्र निर्गमित किया गया / आवेदन पत्र अस्वीकृत की सूचना दी गई

प्राचार्य

## केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए

आवेदन पत्र के साथ से..... रसीद क्रमांक ..... दिनांक ..... प्राप्ति

लेखा सिंहिक